महत्वपूर्ण

संख्या–1226/1–11–2017–05(जी)/2016 T.C.I

प्रेषक,

संजय कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मिर्जापुर, सोनभद्र, संतरविदास नगर (भदोही), झाँसी, ललितपुर, जालौन, बांदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासंगज, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, हापुड़, इलाहाबाद।

राजस्व अनुभाग–11 लखनऊः दिनॉक : 07 नवम्बर, 2017

विषयः– प्रदेश में सम्भावित सूखे की स्थिति के सम्बन्ध में आख्या।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि मानसून अवधि में कम वर्षा होने के कारण प्रदेश में सम्भावित सूखे से निपटने हेतु शासनादेश संख्या–256/1–11–2017–05(जी)/2016, दिनॉक 09.05.2017 द्वारा समस्त जनपदों को जनपदीय कार्ययोजना बनाये जाने एवं उसके क्रियान्वयन हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2. उल्लेखनीय है कि शासन के पत्र संख्या–1069/1–11–2017–05(जी)/2016, दिनॉक 21.09.2017 द्वारा समस्त जनपदों को भारत सरकार के सूखा मैनुअल 2016 में सूखा घोषित किये जाने के सम्बन्ध में निर्धारित मानक यथा जनपद में वर्षा की स्थिति, बुआई का क्षेत्रफल, एन0डी0वी0आई0 वैल्यू, आर्द्रता, पौधों में हरियाली की स्थिति आदि के आधार पर जनपद में सूखे से सम्बन्धित आख्या स्पष्ट अभिमत के साथ शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

3. सूच्य है कि मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–1177/1–11–2017– 05(जी)/2016, दिनॉक 13.10.2017 द्वारा, प्रदेश में सम्भावित सूखे से निपटने हेतु मण्डलों/जनपदों को आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत करते हुए, जिला स्तर पर सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर कृत कार्यवाही की सूचना तथा सूखा मैनुअल–2016 में निर्धारित मानकों के अनुसार जनपद की वस्तुस्थिति का परीक्षण करते हुए यदि सूखाग्रस्त घोषित किया जाना अपेक्षित हो, तो सुस्पष्ट प्रस्ताव संस्तुति सहित दिनांक 25.10.2017 तक शासन को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

4. भारत सरकार के सूखा मैनुअल–2016 जो कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट http://drought.unl.edu/Portals/0/docs/international/India%20Drought %20 Manual%202016.pdf में सूखा मानकों की पूर्ति पर प्रशासनिक इकाई के रूप में किसी जनपद, तालुका, तहसील, ब्लाक, ग्राम पंचायत को सूखाग्रस्त घोषित किये जाने की व्यवस्था दी गयी है। भारत सरकार के सन्दर्भित सूखा मैनुअल 2016 में किसी क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित किये जाने हेतु निम्न इन्डिकेटर दिये गये हैः–

1. अनिवार्य सूचकांक –वर्षा

1-Deviation

I. +19 to –19 Normal
II. –20 to –59 Deficient
III. –60 to –99 Large Deficient
IV. –100 No Rain

2. प्रभाव सूचकांक (**Impact Indication**)

क– फसलों का आच्छादन –खरीफ में बुआई अवधि तक सामान्य का 50 प्रतिशत क्षेत्रफल में आच्छादन न हो सका।

(If total sown area under Kharif crops was less than 33.3 % of total normal sown area by end of July to August) / फसलों में 33% से अधिक सूखे के कारण नुकसान हुआ हो।

3–रिमोट सेंसिंग

VCI :Vegetation Condition Index (%)

VCI Value (%)	**Vegetation Condition**
60-100	अच्छा
40-60	अनुकूल (Fair)
0-40	खराब

4–Soil Moisture

MAI - Moisture Adequacy Index (%)

MAI (%)	सूखा का वर्गीकरण
76-100	सूखा नहीं।
51-75	हल्का सूखा।
26-50	मध्यम सूखा।
0-25	गम्भीर सूखा।

5–Hydrological Indices

RSI : Reservoir Storage Index (%)

जलाशय के भण्डारण मात्रा में प्रतिशत कमी	वर्गीकरण
20 %	Normal Deficient
20% - 30 %	Mild Deficient
30% - 40%	Moderate Deficient
40% - 60%	Severe Deficient
60 % से अधिक	Extreme Deficient

4– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने जनपद में सम्बन्धित विभागों के साथ समन्वय कर सूखा मैनुअल–2016 में निर्धारित मानकों के अनुरूप सूखे की स्थिति का आंकलन करते हुए यदि जनपद, तालुका, तहसील, ब्लाक, ग्राम पंचायत को सूखाग्रस्त घोषित किया जाना अपेक्षित हो तो सुस्पष्ट प्रस्ताव संस्तुति सहित दिनॉक 09.11.2017 तक राहत आयुक्त संगठन, राजस्व विभाग के ईमेल–rahat@nic.in पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

6/11/17

(संजय कुमार)
विशेष सचिव।

403 GO-R-11-2017

संख्या 1226 (1)/1-11-2017-05(जी)/2016 एवं दिनॉक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, कृषि विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशित करें कि सूखे के संबंध में जनपद स्तर पर यदि किसी सूचना/विवरण की अपेक्षा की जाती है, तो वे तत्काल सम्बन्धित को उपलब्ध करा दें।
2. निदेशक, रिमोट सेन्सिंग केन्द्र/भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशित करें कि सूखे के संबंध में जनपद स्तर पर यदि किसी सूचना/विवरण की अपेक्षा की जाती है, तो वे तत्काल सम्बन्धित को उपलब्ध करा दें।
3. परियोजना निदेशक(सूखा), उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण को इस निर्देश के साथ प्रेषित राहत आयुक्त संगठन से सूचनाओं को संकलित कर सुस्पष्ट प्रस्ताव तैयार कराकर निर्धारित अवधि के अन्दर शासन को उपलब्ध कराये।
4. परियोजना प्रबन्धक, राहत आयुक्त संगठन को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
5. राजस्व अनुभाग-10/ गार्ड फाइल।

पंकज
06.11.17

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।